न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

पीठासीन अधिकारी– शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D. No- UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–806 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1856 / 2026

(CNR UPLP 01004205-2026)

अवनीश कुमार आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम तेतारपुर थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

सरकार उ0प्र0

मु0अ0सं0–313 / 2026,
धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0,
थाना–खीरी, जिला लखीमपुर–खीरी।

09.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त अवनीश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–313 / 2026, धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0, थाना–खीरी, जिला लखीमपुर–खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सावित्री देवी द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 10.05.2026 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनॉक–02.05.2026 को वादिनी की लड़की / पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष को विमलू यादव बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। उसने काफी खोजबीन किया, कुछ पता नहीं चला है। वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में विमलू यादव के विरूद्ध धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विमलू यादव तथा पीड़िता के बयान के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा मामले की विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी / अभियुक्त का उक्त घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, कथित घटना बनावटी एवं फर्जी है। प्रार्थी / अभियुक्त

ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है, जिससे कथित अपराध उस पर बनता हो। कथित घटना दिनॉक–02.05.2026 की समय 00:00 बजे की बतायी जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक–10.05.2026, को समय करीब 22:15 बजे अति विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मुकदमें में नामजद नहीं है। पीड़िता के धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में काफी विरोधाभाष है। वादी मुकदमा द्वारा जिस प्रकार की घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करायी गयी है, ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री पारूल को बहला–फुसलाकर भगाया नहीं है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की प्रदत्त सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत धनराशि पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का नाम पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के आधार पर प्रकाश में आया है। घटना के समय पीड़िता अवयस्क अवयस्क थी। चूंकि स्वीकृत रूप से पीड़िता अवयस्क है, इसलिए पीड़िता की सहमति विधिक रूप से महत्वहीन है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को विवाह करने के आशय से उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत किये जाने का आरोप है। विवेचक द्वारा केस डायरी में श्री जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवलपुरवा, लखीमपुर–खीरी द्वारा निर्गत पीड़िता के जन्मतिथि प्रमाण–पत्र की नकल अंकित की गयी है, जिमसें पीड़िता की जन्मतिथि 23.07.2009, अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि 02.05.2026 को 16 वर्ष 09 माह की अवयस्क थी। यद्यपि कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, परन्तु पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस में प्रार्थी/अभियुक्त के साथ उसके घर जाने तथा वहॉ पॉच दिन रूकने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता द्वारा दिनॉक–17.05.2026 को थाना

उपस्थित आकर दिये गये प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के साथ शादी किये जाने का भी कथन किया है। चूंकि पीड़िता स्वीकृत रूप से अवयस्क है, इसलिए अवयस्क पीड़िता की सहमति को विधिक सहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। ऐसे में अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त नहीं है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का, मैं उचित एवं संतोषजनक आधार नहीं पाता हूॅ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अवनीश कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक 09.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:03:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court